



न्यायालय मोग्रो राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर.

प्रक्र 0 / निगरानी 10 — 872- I/10

10-6-10
 10-6-10
 मंगल क. शर्मा
 इन्स्पेक्टर

आप्त
 15-6-10
 केशव शर्मा

विमानलाल पिता गिरधारीलाल आयु 57 वर्ष
 निवासी शेरपुर हाल मुकाम गवली मोहल्ला
 मेलाना जिला रत्नाम {मोग्रो} — आवेदक

किन्तु

गददलाल मृत वारिस

1. मनोरमा विधा गददलाल
 अशोक पिता गददलाल
 संजय पिता गददलाल
 विजय पिता गददलाल
 निवासी शेरपुर

पुष्करलाल पिता प्रेमचन्द्र
 नि० कम्लाछेडा तह० पिपलोदा जिला रत्नाम
 — अनावेदक

पुनरोक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मोग्रो भू० रा० सं०

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन
 मन्साग केन्द्र उज्जैन के प्र०क्र० 19/ अ-07-08 मे पारित आदेश दिनांक 19.01.10
 मे अंतर्गत एवं दृष्टि होकर निम्न कारणों के आधार पर नकल के दिन मुहरा करने
 पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर अपील विधि विधान
 एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि विवादित भूमि का आवेदक व अनावेदक क्रमांक -1 के
 मध्य बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण विवादित भूमि का विपणन करने का
 कोई अधिकार गददलाल को है। इस संबंध में कोई जांच किये बिना अधिनस्थ
 न्यायालय ने महान वेधानिर्णय ट की है।

166

219

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/872/एक/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19 श्रीका अध्य	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व में उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। समय-समय पर 3 बार पुकार लगवायी गई, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी पर खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	

f